माननीय न्यायमूर्ति एम. एल. सिंघल, जे. के समक्ष

फक्विरिया,-याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

बनाम

नूर दिन और अन्य,-उत्तरदाता

1998 की सी. आर. सं. 3708

3rd फरवरी, 2000

भूमि सस्वामित्व सुरक्षा अधिनियम, 1953-हरियाणा भूमि धारण सीमा अधिनियम, 1972, जैसा कि 1976 के हरियाणा अधिनियम संख्या 40 द्वारा संशोधित किया गया है- खंड 12(3)-हरियाणा अधिशेष भूमि *और अन्य क्षेत्र उपयोग स्कीम, 1976- खंड 5 से* 7-सिविल *प्रक्रिया संहिता, 1908-0.39 रुल्स 1 और 2-अधिशेष भूमि-1963 से* किरायेदारों *के रूप में और कब्जे* में *भूमि की खेती करने वाले 1 से 3 प्रतिवादीगण-सरकार 1976 की योजना के तहत आवंटन* की *प्रक्रिया का पालन करने के बाद याचिकाकर्ता को भूमि आवंटित कर रही है-प्रतिवादीगण आवंटन के लिए* पात्र *नहीं पाए गए-आवंटन के लिए उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया-याचिकाकर्ता के पक्ष में सुविधा का संतुलन-प्रतिवादीगण* को *अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान करने वाला अपीलीय न्यायालय का आदेश दरकिनार कर दिया गया।*

अभिनिर्धारित किया कि, 1 से 3 प्रतिवादीगण के *पक्ष में,* प्रथम दृष्टया, मामला हो सकता है। हालाँकि, उनके पक्ष में सुविधा का कोई संतुलन नहीं है, क्योंकि, यह भूमि याचिकाकर्ता को आवंटित की गई *थी-20* अप्रैल, 1979 के आवंटन आदेश के अनुसार। भूमि केवल पात्र व्यक्तियों को आवंटित की जानी थी। याचिकाकर्ता को, फॉर्म यूएस-4, पहले ही आवंटित किया जा चुका था ।याचिकाकर्ता को 39 K 11 M में से, 19 K 11 M मीटर भूमि का कब्जा पहले ही दिया जा चुका है। अतिरिक्त भूमि के उपयोग से पहले, गाँव में मुनादी लागू थी।

(पैरा 12)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि, सुविधा का संतुलन, याचिकाकर्ता के पक्ष में है। यह पुनरीक्षण सफल होता है और स्वीकार किया जाता है। 2 अप्रैल, 1998 का आदेश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जगाधरी द्वारा पारित किया गया, इस आदेश को अलग कर दिया गया है और, सिविल जज, सीनियर डिवीजन जगाधरी, दिनांक 31 जनवरी, 1996, के फैसले को पुनर्स्थापित किया गया, जिसके

द्वारा, अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन, खारिज कर दिया गया था, और जो कुछ भी ऊपर कहा गया है, वह केवल अस्थायी निषेधाज्ञा मामले का निपटारा करने के लिए है। मुकदमे के समापन के बाद, नीचे दिए गए न्यायालय रिकॉर्ड पर साक्ष्य और उस पर लागू कानून द्वारा आवश्यक कोई भी विचार लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

(पैरा 14)

एस. के. गोयल, *अधिवक्ता-याचिकाकर्ता की ओर से।*

एस. आर. कंवर, हरियाणा राज्य के अधिवक्ता और वी. बी. अग्रवाल, *अधिवक्ता-प्रतिवादीगण के लिए*

निर्णय

एम. एल. सिंघल जे.

(1) यह अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जगाधरी द्वारा पारित 2 अप्रैल, 1998 के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण है, जिसमें उन्होंने अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग, जगाधरी द्वारा पारित 31 जनवरी, 1996 के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें उन्होंने नूर दीन और अन्य वादी को, प्रतिवादी संख्या 1, हरियाणा राज्य को, रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा देने से इनकार कर दिया था। प्रतिवादी संख्या 2, उप-मंडल अधिकारी (सी), जगाधरी, को हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स अधिनियम के तहत निर्धारित प्राधिकरण के रूप में और प्रतिवादी संख्या 3, नायब तहसीलदार, जगाधरी को 20 अप्रैल, 1979 को, हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स अधिनियम के तहत, उप-मंडल अधिकारी (सी) जगाधरी (निर्धारित प्राधिकरण) द्वारा पारित आवंटन आदेश के निष्पादन में विवादित भूमि का कब्जा, फकिरिया, अभियुक्त नंबर 4 और एक रूलिया को देने से रोक दिया गया, एक जमीन, जिसका क्षेत्र 21 कनाल है ओर जो गाँव भँगेरा भँगेरी/ बागपत हड़बस्त न. 9, जमाबंदी वर्ष 1964-65, 1972-73, 1992-93 के अनुसार, तहसील छाछरौली, जिला यमुनानगर, मे फकिरिया ओर रुलिया के पक्ष मे है।

(2) नूर दीन, मेहर दीन और उमर दीन ने हरियाणा राज्य और अन्य लोगों के खिलाफ इस आशय की घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया कि 20 अप्रैल, 1979 को एस. डी. ओ. (सिविल), जगाधरी, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा, फकीरिया और रूलिया, के पक्ष में 21 कनाल की भूमि के संबंध में पारित आवंटन पत्र अवैध, अमान्य और

अप्रभावी था और उन पर बाध्यकारी नहीं था, क्योंकि वे 1968 के ख़रीफ़ से पहले से कब्जे में हैं, और वर्ष 1976 में तैयार की गई अधिशेष भूमि के उपयोग योजना के अनुसार, आवंटन का तरजीही अधिकार था, और "एस. डी. ओ. (सिविल), जगाधरी द्वारा पारित किसी भी आदेश के निष्पादन में प्रतिवादियों को किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए, स्थायी निषेधाज्ञा" के लिए, उक्त भूमि का कब्जा उक्त आवंटन आदेश के आधार पर फकीरिया, प्रतिवादी संख्या 4, और एक रूलिया को सौंपना। उनके द्वारा यह भी प्रार्थना की गई कि प्रतिवादी 1 से 3 को हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट और सरकार द्वारा बनाई गई हरियाणा यूटिलाइजेशन ऑफ सर्प्लस एंड अदर एरिया स्कीम, 1976 के संदर्भ में वादी को उक्त भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया जाए। वादी द्वारा शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि वे उक्त भूमि पर पहले बड़े जमींदार गुरदियाल सिंह के तहत किरायेदार के रूप में खेती कर रहे हैं और इसके राज्य सरकार में निहित होने के बाद, वे राज्य सरकार के तहत खेती कर रहे हैं। गुरदियाल सिंह एक बड़े भू-स्वामी थे जिनके पास बहुत सारी संपत्ति थी। पंजाब प्रतिभूति भूमि कार्यकाल अधिनियम, 1953 के तहत मुकदमे में जमीन सहित उनकी संपत्ति को अधिशेष घोषित किया गया था। यह भूमि उन्हें अस्थायी रूप से किरायेदार होने के नाते आवंटित की गई थी। वे 1963 से एक तिहाई बटाई पर उक्त भूमि पर खेती कर रहे हैं। कुछ समय बाद, फ़कीरिया और रूलिया को बिना किसी सूचना के मुक़दमे की ज़मीन आवंटित कर दी गई। उन्होंने 24 जनवरी, 1995 को एस. डी. ओ. (सिविल) जगाधरी (हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट के तहत निर्धारित प्राधिकरण) के समक्ष आवेदन दायर किया और दावा किया कि वे अधिशेष भूमि के आवंटन की योजना की श्रेणी ई में आने वाले पात्र आवंटी हैं। नूर दीन आदि ने, उक्त आवंटन आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी कि, यह उनकी अनुपस्थिति में और उन्हें बिना किसी सूचना के गुप्त रूप से पारित किया गया था और इसलिए, यह अवैध और अधिकार क्षेत्र के बाहर था। एसडीओ (सिविल), जगाधरी (हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट के तहत निर्धारित प्राधिकरण) द्वारा 24 जनवरी, 1995 को उनके आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था। शिकायत के साथ, उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को फकीरिया और रूलिया को कब्जा देने से रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा देने का अनुरोध किया।

(3) अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए उनकी प्रार्थना का यह आग्रह करते हुए विरोध किया गया कि वाद में भूमि अधिशेष भूमि थी, जो हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 के लागू होने के तुरंत बाद राज्य सरकार में निहित थी और इसे *20*

अप्रैल, 1979 के आवंटन आदेश के माध्यम से फकीरिया को आवंटित किया गया था। भूमि के आवंटन से पहले गाँव में मुनादी लागू की गई थी। उक्त भूमि केवल पात्र व्यक्तियों को आवंटित की जानी थी। फकीरिया के पक्ष में आवंटन प्रपत्र यू. एस. -4 पहले ही जारी किया जा चुका था। वादी ने वाद भूमि के आवंटन के लिए कोई आवेदन नहीं किया और न ही वे वाद भूमि के आवंटन के हकदार थे। वादी को वाद भूमि पर कब्जा बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं था। फकीरिया को 39 कनाल 11 मरला की कुल भूमि आवंटित की गई थी, जिसमें से 19 हजार 11 मीटर की भूमि का कब्जा कब्जे के वारंट के निष्पादन के समय दिया गया था।

(4) *31* जनवरी, 1996 के आदेश के माध्यम से, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग, जगाधरी ने अस्थायी निषेधाज्ञा देने के लिए वादी की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया।

(5) अपील में, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जगाधरी *ने 2* अप्रैल, 1998 के आदेश के माध्यम से उन्हें मुकदमे के निपटारे तक बचाव पक्ष को उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की।

(6) फकीरिया (प्रतिवादी 4) ने इस संशोधन के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जगाधरी द्वारा नूर दीन आदि को दिए गए अस्थायी निषेधाज्ञा को हटाने का अनुरोध किया है।

(7) मैंने विद्वत वकील की सलाह सुनी है।

(8) याचिकाकर्ताओं के विद्वत वकील ने प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि का स्वामित्व एक गुरदियाल सिंह के पास था, जो एक बड़े भूमि मालिक थे और भूमि स्वामित्व सुरक्षा अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के तहत इसे अधिशेष घोषित किया गया था। हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट को 1976 में संशोधित किया गया था और 1976 के हरियाणा अधिनियम संख्या 40 द्वारा खंड 12 (3) जोड़ा गया था। खंड 12 (3) में कहा गया है कि "पंजाब कानून के तहत अधिशेष या किरायेदार का अनुमेय क्षेत्र घोषित क्षेत्र और पेप्सू कानून के तहत अधिशेष घोषित क्षेत्र, जो अब तक राज्य सरकार में निहित नहीं है, को नियत दिन से राज्य सरकार में निहित माना जाएगा और जो क्षेत्र पंजाब कानून या पेप्सू कानून के तहत नियत दिन के बाद घोषित किया जा सकता है, उसे ऐसी घोषणा की तारीख से राज्य सरकार में निहित माना जाएगा।" यह प्रस्तुत किया गया था कि इस प्रावधान के तहत, विवादित भूमि राज्य

सरकार में निहित है। राज्य सरकार ने इस भूमि को पात्र व्यक्तियों को आवंटित करने के लिए हरियाणा अधिशेष और अन्य क्षेत्र उपयोग योजना, 1976 तैयार की। पात्र व्यक्तियों को भूमि के आवंटन की प्रक्रिया इस योजना के खंड 5 के तहत दी गई है, जो इस प्रकार हैः–

पात्र व्यक्तियों द्वारा आबंटनः

> "5. (1) आबंटन प्राधिकारी अपने कार्यालय में कम से कम सात दिनों के लिए अधिशेष क्षेत्र और धारा 12 की उप-धारा (3) के तहत राज्य सरकार में निहित माने जाने वाले अनुमेय क्षेत्र और, प्रत्येक गांव में धारा 12 की उप-धारा (1) के तहत समय-समय पर अधिग्रहित अधिशेष क्षेत्र की सूची प्रदर्शित करेगा। वह पात्र व्यक्तियों की श्रेणियों की एक सूची भी प्रदर्शित करेगा जो आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सूचियों के प्रदर्शन की घोषणा गाँव में ढोल की धुन से की जाएगी और पटवाड़ी दैनिक डायरी में इस आशय की प्रविष्टि करेगा।"
>
> (2) XX XX
>
> (3) XX XX
>
> (4) XX XX
>
> (5) XX XX

(9) यह प्रस्तुत किया गया था कि, इस योजना के तहत गाँव में भूमि के आवंटन के लिए मुनादी लागू की गई थी और विभिन्न पात्र व्यक्तियों ने भूमि के आवंटन के लिए आवेदन दिए, और योजना के खंड 6 के तहत जांच के बाद और खंड 7 के तहत आवंटन की प्रक्रिया का पालन करते हुए *याचिकाकर्ता को* भूमि आवंटित की गई थी-20 अप्रैल, 1979 के आदेश के अनुसार, और यूएस फॉर्म 4 उनके पक्ष में जारी किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि बड़े जमींदारों के कब्जे में ख़रीफ़ 1978 और रबी 1979 के दौरान भूमि थी जब अधिकारियों द्वारा इस भूमि के आवंटन की कार्यवाही की गई थी और नूर दीन आदि के कब्जे में इन फसलों के लिए खसरा गिरदावरी में प्रविष्टियों के अनुसार भूमि नहीं थी और 4 जनवरी, 1980 को नूर दीन आदि ने खसरा-गिरदावरी को उनके पक्ष में ठीक कराया। यह प्रस्तुत किया गया था कि नूर दीन आदि ने बड़े जमींदार गुरदियाल सिंह के साथ मिलीभगत करके अपने

पक्ष में खसरा-गिरदावरी को ठीक किया। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस भूमि के आवंटन के लिए नूर दीन आदि को विशिष्ट नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि मुनादी योजना के खंड 5 के अनुसार प्रभावी थी और जब 18 नवंबर, 1983 को फकीरिया अपने पक्ष में आवंटन को देखते हुए कब्जा करने गए थे; नूर दीन आदि उग्र हो गए और पुलिस की मदद ली गई और नूर दीन आदि ने आवंटन आदेश को प्रभावी नहीं होने दिया।गाँव में अधिशेष भूमि के आवंटन के लिए प्रभावित मुनादी के जवाब में, नूर दीन और उमर दीन ने 14 जुलाई, 1976 को अधिशेष भूमि के आवंटन के लिए आवेदन दायर किया और मेहर दीन ने 6 जुलाई, 1976 को आवेदन दायर किया। यह प्रस्तुत किया गया था कि उन्हें 2 अप्रैल, 1979 के आदेश द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गई थी क्योंकि वे योग्य व्यक्ति नहीं पाए गए थे और उस समय विवादित भूमि पर उनका कब्जा भी नहीं था।नूर दीन आदि के पास 1976 में अधिशेष भूमि के आवंटन की हर सूचना थी।यह प्रस्तुत किया गया था कि 24 जनवरी, 1995 के उनके आवेदन पर कोई नोटिस नहीं लिया गया था, जब फ़कीरिया को पहले ही भूमि आवंटित की जा चुकी थी।

(10) यह आगे प्रस्तुत किया गया कि सिविल कोर्ट के पास 20 अप्रैल, 1979 के फकीरिया को भूमि आवंटित करने के आदेश को रद्द करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। दीवानी अदालत के पास यह अभिनिर्धारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि आवंटन और कब्जा देने की कार्यवाही अवैध, अमान्य और अप्रभावी है। हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 की धारा 26 के तहत सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को इस मामले में जाने से रोक दिया गया है क्योंकि अधिकारियों ने वैध कार्यवाही के तहत फकीरिया को जमीन आवंटित की है, हरियाणा अधिशेष भूमि और अन्य क्षेत्र उपयोग योजना, 1976 के तहत निम्नलिखित प्रक्रिया के बाद। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि हरियाणा अधिशेष उपयोग और अन्य क्षेत्र योजना 1976 के प्रावधानों के संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, जो वर्तमान किरायेदार होने का दावा करता है और केवल अधिशेष क्षेत्र का प्रदर्शन और पात्र व्यक्तियों का प्रदर्शन ढोल की थाप से किया जाना है। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस प्रकार नूर दीन आदि को नोटिस नहीं देने में कोई अवैधता नहीं की गई थी और जब आवंटन की कार्यवाही की गई थी तो नूर दीन आदि भूमि के कब्जे में नहीं थे तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि जब अधिकारी कानून के अनुसार फकीरिया को कब्जा सौंप रहे होंगे तो नूर दीन आदि को कोई अपूरणीय क्षति और चोट नहीं होगी। वैधानिक

प्राधिकरणों को कानून के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के लिए कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

(11) जमाबंदी में इन वर्षों के लिए,1964-65,1972-73 और 1987-88, नूर दीन आदि को परदेश सरकार के तहत गैर मौरिसियन के रूप में दिखाया गया है। नूर दीन आदि के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि वे पुराने किरायेदार थे और वे आवंटन की योजना की श्रेणी ई के अंतर्गत आते हैं।सूट की जमीन पर उनका तरजीही अधिकार था।यह प्रस्तुत किया गया था कि फकीरिया को अधिशेष भूमि आवंटित करने का 20 अप्रैल, 1979 का आदेश अमान्य था और आवंटन आदेश का कानून की नजर में कोई अस्तित्व नहीं है और अमान्य आदेश को अलग करने की कोई सीमा नहीं है।शून्य आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है।याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह आदेश अमान्य नहीं था।नूर दीन आदि ने आवंटन के लिए आवेदन किया।उनके आवेदन की कोई सूचना नहीं दी गई थी और न ही सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई निर्णय लिया गया था।यह प्रस्तुत किया गया था कि दीवानी अदालत का अधिकार क्षेत्र *होगा। ऐसे आदेश की वैधता तय* करने *के लिए जब ऐसा आदेश* नूर दीन आदि को सुने बिना पारित किया गया था। हरियाणा राज्य और अन्य बनाम विनोद कुमार और अन्य[1] में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "सिविल न्यायालय को उस आदेश को पूर्ववत करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है जहां न्यायाधिकरण द्वारा कानून के प्रावधानों या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए विशेष अधिकार क्षेत्र में आदेश पारित किया गया था।" याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 27 अक्टूबर से; 1978 से 26 मार्च, 1979 तक नूर दीन आदि खसरा-गिरदावरी में शामिल नहीं थे।बल्कि बड़े जमींदार गुरदियाल सिंह खसरा-गिरदावरी में काम कर रहे थे और इसलिए, प्राधिकरण नूर दीन आदि को नोटिस देने के लिए बाध्य नहीं था। फकीरिया को सूट की जमीन आवंटित किए जाने के बाद 4 जनवरी, 1980 को गुरदियाल सिंह के साथ मिलकर नूर दीन आदि ने खसरा-गिरदावरी को ठीक किया।यह भी कहा गया था कि नूर दीन आदि।अपील या पुनरीक्षण में जाना चाहिए था।फकीरिया और रूलिया भूमिहीन व्यक्ति थे।उन्हें जमीन दी गई।उन्होंने प्रतिफल जमा कर दिया है।उनके पक्ष में उत्परिवर्तन को भी मंजूरी दी गई है और

वे कानून के अनुसार कब्जा कर रहे हैं।यह प्रस्तुत किया गया था कि निर्धारित प्राधिकारी द्वारा पारित आवंटन आदेश को निष्पादित करने के माध्यम से कब्जा करना आदेश 39 सी. पी. सी. के अर्थ के भीतर कोई क्षति नहीं है और इसलिए, कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है।इस निवेदन के *समर्थन में, पियेरिया लाई* और *एक अन्य बनाम बाकू* सिंह और *अन्य*[2] और *डी. सी. एम. लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य* और एक अन्य[3] योजना की श्रेणी ई में, एक व्यक्ति जो 1968 से पहले भूमि मालिक द्वारा अधिशेष क्षेत्र पर बसाया गया है, उसे रखा जाता है।

(12) नूर दीन आदि के पक्ष *में प्रथम* दृष्टया मामला हो सकता है।हालाँकि, उनके पक्ष में सुविधा का कोई संतुलन नहीं है क्योंकि यह भूमि 20 अप्रैल, 1979 के आवंटन *आदेश* के अनुसार फ़कीरिया को आवंटित की गई थी।भूमि केवल पात्र व्यक्तियों को आवंटित की जानी थी।फ़कीरिया को पहले ही फॉर्म यू. एस.-4 आवंटित किया जा चुका था।39 हजार 11 मीटर में से 19 हजार 11 मीटर भूमि का कब्जा पहले ही फकीरिया को दिया जा चुका है।अतिरिक्त भूमि के उपयोग से पहले, गाँव में *मुनादी लागू थी। गुर्जर सिंह* और *अन्य बनाम कौर सिंह* और अन्य[4] मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि योग्य व्यक्तियों को मुनादी के माध्यम से आवंटन की सूचना पर्याप्त सूचना में दी गई थी। ड्रम बजाकर दिए जाने पर गाँव के निवासियों को आवश्यक जानकारी देना पर्याप्त है।

(13) वर्ष 1979 में फकीरिया को आवंटन किया गया था।आवंटन के क्रम में, यह उल्लेख किया गया है कि उद्घोषणा और ढोल बजाने के बाद 105 आवेदन प्राप्त हुए थे।उन आवेदनों को राजस्व कर्मचारियों के माध्यम से संसाधित किया गया था।उन आवेदनों को राजस्व कर्मचारियों द्वारा संसाधित किए जाने के बाद, आवंटन एसडीओ (नागरिक)/आवंटन प्राधिकरण, जगाधरी द्वारा किया गया था।

(14) मामले के सभी पक्ष और विपक्ष को देखते हुए, मुझे लगता है कि सुविधा का संतुलन फक्पीरिया के पक्ष में है। ऊपर दिए गए कारणों से, यह पुनरीक्षण सफल होता है और स्वीकार किया जाता है। 2 अप्रैल, 1998 का अतिरिक्त जिला जज द्वारा पारित किया आदेश रद्द किया जाता है, और अतिरिक्त सिविल जज, सीनियर डिविसन का, 31 जनवरी, 1996 की जगाधरी को आदेश बहाल किया जाता है, जिसके तहत

[2] 1990 (1) R.L.R. 133
[3] 1985 R.L.R. 505
[4] 1994 P.L.J. 483

अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया था, और जो कुछ भी ऊपर कहा गया है वह केवल अस्थायी निषेधाज्ञा मामले को निपटाने के लिए है। मुकदमे के समापन के बाद, नीचे की अदालतें अभिलेख पर साक्ष्य *और उस पर लागू कानून, द्वारा आवश्यक, कोई भी विचार लेने के लिए स्वतंत्र हैं।*

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मंदीप सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) Gurugram, हरियाणा